



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233691
CG-DL-E-23022022-233691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 792]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

का.आ. 821(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1601 (अ.), दिनांक 16 जून, 2015, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे अधिसूचना संख्या 19686/एफएवंई तारीख 16.09.1998 द्वारा अधिसूचित किया गया है और ओडिशा राज्य में केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है;

और, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य 673 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ओडिशा राज्य में केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर, कनिका और महाकालपाड़ा तहसील में स्थित है। वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार की अधिसूचना संख्या एफई-डब्लयूएल-डब्लयूएलएफ-0054-2015-2289 तारीख 01.02.2020 के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26ए के खंड (ख) के साथ उप-खण्ड (I) के तहत भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को युक्तिसंगत और पुनः अधिसूचित किया गया है। जिसमें महाकालपाड़ा तहसील के 54.45 वर्ग किमी की सीमा वाले 52 गांवों को छोड़ा गया है और 55.45 वर्ग किलोमीटर के 8 वन खण्डों को शामिल किया गया है;

और, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य 1435 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे अधिसूचना संख्या 8एफ(डब्लयू एल) 4/97-18805/एफ एवं ई तारीख 27.09.1997 द्वारा अधिसूचित किया गया है और जो ओडिशा राज्य में केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर और महाकालपाड़ा तहसील में स्थित है;

और, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की सीमा भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के अन्दर है और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा के निकटस्थ है और ये संरक्षित क्षेत्र सन्निहित भूमि और जल निकाय से निर्मित हैं जिनकी पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पहचान की गई है;

और, संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है और अत्याधिक उपजाऊ पारितंत्र हैं जिसमें इश्वरीयन और मरीन पारितंत्र के साथ-साथ अक्षेरुकी कि 61 प्रजातियाँ जैसे प्रोटोजोआ (2 प्रजाति), कोइलिनट्रेटेस (3 प्रजाति), मोलूस्का (7 प्रजाति), एनिलेड्स (34 प्रजाति), अर्थोपोड्स (15 प्रजाति) और बरटिनेट्स जैसे मछलियाँ (20 प्रजाति), उभयचरों की (5 प्रजाति) और सरीसृपों की (42प्रजाति), पक्षियों की (280 से अधिक प्रजातियाँ, स्तनधारियों की (केटाशियन्स सहित 28 प्रजातियाँ) हैं;

और, भीतरकनिका क्षेत्र में भारत में मुहाना मगरमच्छ की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी है और यह सरीसृप विविधता के लिए जाना जाता है। एशिया के सबसे बड़े बगुले इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जोकि मानसून के समय की एक वार्षिक गतिविधि है और भीतरकनिका आर्द्धभूमि में आने वाले सर्दियों के प्रवासियों की संख्या हर साल एक लाख से अधिक होती है;

और, ओडिशा राज्य में भीतरकनिका दूसरा रामसर स्थल है जो अंतरराष्ट्रीय आर्द्धभूमि के रूप में विख्यात है और गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य ओलिव रिडले समुद्री कछुए के सामूहिक घोसलें के लिए, दुनियाभर में जाना जाता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की रेड डाटा पुस्तक में दर्ज वनस्पतियों और जीव की कई लुप्तप्राय प्रजातियाँ इन संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध हैं;

और, इस क्षेत्र में मौजूद दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न जीव प्रजातियाँ फैन श्रोट लिजार्ड (सीताना पोंटिसरियाना), स्किंक (रियोपा पंक्टेट), ग्रेट कॉर्मोरट (फालाकोकोरैक्स कार्बो), लिटिल ग्रीबे (टैचीबैप्ट्स रूफिकोलिस), ब्राह्मणी काइट (हैलियास्टर इंडस), स्मॉल प्रेटिनकोल (ग्लेरियोला लैक्टियल), इंडियन स्किमर (रिनचोप्स एल्बिकोलिस), बौला कुंभीरा (क्रोकोडायलस पोरसस), ओलिव रिडले टर्टल (लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया), पानी गोधी (वारानुस साल्वेटर), अजगर (पायथन मोलुरस), बटागुर टर्टल (बटागुर बासका), नाबारंगी (पिट्टा मेगारिन्चा) आदि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में मौजूद स्तनपायी प्रजातियाँ स्पोटेड डीयर (एक्सिस एक्सिस), सांबर (सर्वस यूनिकलर), भारतीय जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), एशियाई गीदड (कैनिस ऑरिकस), फिशिंग कैट (फेलिस विवेरिना), जंगली बिल्ली

(फेलिस चौस), लेपर्ड कैट (फेलिस बोंगालान्सिस), हायना (हायना हायना), कॉमन मैंगोज़ (हर्पेस्टेस एडवड्स) ओटर (लूट्रा पर्सेपिसिलाटा), स्मॉल इंडियन सिवेट (विवरिकुला इंडिका), इंडियन पोरकुपाइन (हिस्ट्रीक्स इंडिका), रीसस मकाक (मकाका मुलाद्वा मुलाद्वा), गैंगेटिक डॉल्फिन (प्लैटमिस्टा गैंगेटिका), हंपबैक डॉल्फिन (सूसा चिनकुसिस), इरावाडी डॉल्फिन (ओर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस) , और इंडियन मोल रैट (बैंडिकोटा बोंगालेंसिस) आदि हैं;

और, इस क्षेत्र में मौजूद दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न पुष्पों की प्रजातियां पनियम्बा (सेरबेरा ओडोलम), ओनरा (अगलिया कुकुलाटा), मासिथा (इंटिसया विजुगा), हरकांचा (एकेंथस इलिसिफोलियस), बनारुआ (एजियलिटिस रोटुंडिफोलिया), खार्सि (एजिसरस कॉर्निकुलटम), बड़ा बानि (एविसेनिया ऑफिसिनैलिस), लटि सुंदरी (ब्राउनलोविया टेरसा), कलियानुआ (ब्रुगुएरा सिलिंड्रिका), गरनी (सेरियोप्स डिकेंड्रा), काला कटिरानाई (डेरिस ट्रिफोलियटा), सुंदरी (हेरिटिएरा फॉमेस), सिंधुका (कंडेलिया कैंडेल), चुरुंडा (लुन्निट्ज़ेरा रेसमोसा), नलिया घासा (मायरियोस्टाच्या वाइटियाना), राई (रहिंजोफोरा एपिकुलाटा), हेंटल (फीनिक्ष पलुडोसा), गोदा बानि (सेसुवियम पोर्टुलाकास्ट्रुम), ओरुआ (सोन्नेराटिया अल्बा), केरुआन (सोन्नेराटिया एपेटेला), ओरुआ (सोन्नेराटिया केसोलारिस), गिरिया (सुएडा मरिटाइम), गिरिया (सुएडा नुडिफ्लोरा), जगुला (टामारिक्स ट्रौपी), पिटामारि (जाइलोकार्पस मेकोनोंसिस), ढाला बानि (एविसेन्निया अल्बा), बंडारी (ब्रुगुएरा जिमनोरहिङ्गा), डोट (ब्रुगुएरा परविफ्लोरा), खासाइ लाटा (फिनलासोनिया ओबोवाटा), बटुला (सालिकोर्निया ब्राचीआटा) आदि हैं;

और, भीतरकनिका आर्द्धभूमि क्षेत्र में मैंग्रोव की जैव विविधता उच्चतम में से एक है, जिसमें मैंग्रोव की 88 प्रजातियों और उनके संबद्ध प्रजातियों की वर्गीकीय रूप से पहचान की गई है। यह क्षेत्र भीतरकनिका क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति कनिका सुंदरी (हेरिटिएरा कनिकेंसिस) को भी आवास प्रदान करता है;

और, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.10 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 0.10 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर की सीमा तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 497.67 वर्ग किलोमीटर होगा।

(2) भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक –I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र अनुलग्नक -॥क, अनुलग्नक -॥ख और अनुलग्नक -॥ग के रूप में संलग्न हैं।

(4) भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक -॥॥ की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अनुलग्नक -॥॥ के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिसे राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिचार्इ और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल

निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और वर्तमान एवं प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मासले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा;

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयां।- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण।- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-धरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडार्वमन थिरुमूलपाद वनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन वनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में	प्रतिषिद्ध।

	अनुपचारित बहिस्थावों का निस्सरण।	
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।

ख.विनियमित क्रियाकलाप

10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टाँचर लगाने, तार-विछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केवल विछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।

	निर्माण।	
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्वाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्वाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

ग. संबंधित क्रियाकलाप

30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, केंद्रपाड़ा	अध्यक्ष, पदेन;
2.	कलेक्टर, भद्रक के प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	पुलिस अधीक्षक, केंद्रपाड़ा	सदस्य;
4.	पुलिस अधीक्षक, भद्रक के प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	सदस्य सचिव, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि ओडिशा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
7.	पर्यावरण, वन्यजीव और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को ओडिशा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
9.	संभागीय वनाधिकारी, भद्रक वन्य जीव प्रमंडल	सदस्य;
10.	संभागीय वन कार्यालय-सह-वन्यजीव वार्डन, मैंग्रोव वन प्रभाग (वन्यजीव) राजनगर	सदस्य- सचिव

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/04/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोठी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक – I

ओडिशा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनूसुची-क

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदु सं. 1 उ- $20^{\circ}19'59.2''$ पू- $86^{\circ}45'39''$ से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 2 उ- $20^{\circ}16'33.5''$ पू- $86^{\circ}56'11.82''$ गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से समुद्र पर 2 किमी. की दूरी पर तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 2 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 3 उ- $20^{\circ}24'39.5''$ पू- $87^{\circ}1'12.32''$ तक समुद्र पर 1 किमी की दूरी पर गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चलती है। फिर से सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 3 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 4 उ- $20^{\circ}38'24.7''$ पू- $87^{\circ}16'58.97''$ तक गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव की सीमा के बाहर समुद्र पर 1 किमी की दूरी पर चलती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 4 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 5 उ- $20^{\circ}43'33.4''$ पू- $87^{\circ}18'18.71''$ गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य की सीमा तक उत्तर दिशा में समुद्र पर 1 किमी से 2 किमी की दूरी तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 5 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 6 उ- $20^{\circ}48'2.96''$ पू- $87^{\circ}8'1.84''$ समुद्र पर उत्तर-पश्चिम दिशा में गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के बाहर 2 किमी की दूरी तक जाती है। फिर से सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 6 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 7 उ- $20^{\circ}45'1.11''$ पू- $87^{\circ}3'31.31''$ दक्षिण-पश्चिम दिशा में गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के बाहर 2 किमी की दूरी (ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का मुहाना) तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 7 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 8 उ- $20^{\circ}47'43.6''$ पू- $86^{\circ}58'5.34''$ तक उत्तर-पश्चिम दिशा में भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और धमारा नदी के मध्य बिंदु की सीमा से 2 किमी की दूरी पर मिलता है।

इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 8 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 9 उ- $20^{\circ}48'1.55''$ पू- $86^{\circ}56'58.35''$ भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पश्चिम दिशा में भद्रक जिले के भूमि द्रव्यमान पर

0.560 किमी से 2 किमी तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 9 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 10 उ-20° 47' 3.43" पू-86° 49'13.23" भद्रक जिले में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के बाहर पश्चिम दिशा में 2 किमी की दूरी तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 10 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 11 उ-20° 44' 30.2" पू-86°38'58.77" भद्रक और केंद्रपाड़ा जिले में पश्चिम दिशा में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के बाहर 2 किमी की दूरी तक जाती है। कस्तूरिकाना पारिस्थितिकीपर्यटन साइट के पास, 1.33 वर्ग किमी का क्षेत्रफल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीपर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और निर्दिष्ट क्षेत्र का हिस्सा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर रखा गया है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 11 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 12 उ-20° 37' 46.6" पू-86° 39'28.09" दक्षिण दिशा में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के बाहर 2 किमी की दूरी तक जाती है। पुनः सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 12 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 13 उ-20° 34' 32.9" पू-86°41'26.86" तक दक्षिण दिशा में 2 किमी से 8.7 किमी की दूरी तक जाती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 13 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 14 उ-20° 27' 34.8" पू-86° 39' 48.18" तक दक्षिण दिशा में 2 किमी से 5 किमी की दूरी तक जाती है। पुनः सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 14 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 15 उ-20° 23' 37.6" पू-86° 43'33.72" तक भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा दक्षिण-पूर्व दिशा में 2 किमी से 1.2 किमी की दूरी तक जाती है। पुनः सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 15 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 16 उ-20° 20' 7.19" पू-86° 41' 53.66" भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिण दिशा में सीमा के बाहर 0.3 किमी से 0.10 किमी की दूरी पर चलती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 16 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 17 उ-20° 19' 30.2" पू-86° 43' 22.94" भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिण-पूर्व दिशा में 1 किमी से 0.2 किमी की दूरी पर में सीमा के बाहर चलती है। इसके बाद सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 17 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु सं. 1 उ-20° 19'59.2" पू-86°45'39" दक्षिण-पूर्व और फिर उत्तर पूर्व दिशा में चलती है और 0.2 किमी से 0.05 किमी. में स्टेशन नंबर 1 के साथ विलय हो जाती है।

उत्तर : भद्रक जिले के चांदबली, धामारा और व्हीलर द्वीप (डीआरडीओ)


पूर्व : बंगाल की खाड़ी

दक्षिण : बंगाल की खाड़ी, पारादीप पोर्ट

पश्चिम : महाकालपाड़ा और पट्टामुंडई


अनुलग्नक - IIक

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संबंधी जोन का अवस्थान मानचित्र




अनुलग्नक - IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का
मानचित्र



अनुलग्नक - ॥ग

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य और इसके चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



सारणी क: भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	सीमा	अक्षांश	देशांतर
01	भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक	20°20'49.62"	86°46'22.66"
02		20°17'31.96"	86°56'14.26"
03		20°25'00.00"	87°00'45.00"
04		20°38'37.00"	87°16'27.00"
05		20°42'49.00"	87°17'36.00"
06		20°46'58.00"	87°08'05.00"
07		20°43'52.26"	87°02'43.06"
08		20°46'58.02"	86°56'43.08"
09		20°46'12.64"	86°49'56.45"
10		20°45'41.70"	86°42'22.71"
11		20°41'22.41"	86°41'08.01"
12		20°38'27.88"	86°40'21.43"
13		20°34'06.75"	86°42'30.18"
14		20°29'14.00"	86°41'29.71"
15		20°26'17.44"	86°43'27.08"
16		20°23'39.47"	86°43'37.02"
17		20°22'15.55"	86°42'41.13"
18		20°20'09.07"	86°42'00.27"
19		20°19'24.03"	86°43'25.38"
20		20°19'27.36"	86°45'07.89"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

बिंदु	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ निर्देश बिंदु			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	20	19	59.2	86	45	39
2	20	16	33.5	86	56	11.82
3	20	24	39.5	87	1	12.32
4	20	38	24.7	87	16	58.97
5	20	43	33.4	87	18	18.71
6	20	48	2.96	87	8	1.84
7	20	45	1.11	87	3	31.31
8	20	47	43.6	86	58	5.34
9	20	48	1.55	86	56	58.35

10	20	47	3.43	86	49	13.23
11	20	44	30.2	86	38	58.77
12	20	37	46.6	86	39	28.09
13	20	34	32.9	86	41	26.86
14	20	27	34.8	86	39	48.18
15	20	23	37.6	86	43	33.72
16	20	20	7.19	86	41	53.66
17	20	19	30.2	86	43	22.94

अनुलग्नक -IV

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी
जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची
भद्रक जिले के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	ब्लॉक का नाम	जिला का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अम्बीलीगन	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'06.12"	86°46'14.54"
2	बदाहारीपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'44.53"	86°45'30.29"
3	बदाओसतिआ	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'34.57"	86°44'20.81"
4	बधानता	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'00.56"	86°48'44.56"
5	बालीगन	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'29.92"	86°44'02.70"
6	बालीकुरी	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'03.45"	86°47'20.58"
7	बरेहीपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'45.97"	86°44'22.69"
8	बेनतालपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'21.43"	86°46'49.09"
9	बिद्युतपरवा	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'18.417"	86°55'49.076"
10	बिनतारो	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'02.55"	86°43'10.53"
11	चन्दवली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'22.24"	86°44'21.57"
12	चरदिया	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'47.500"	86°50'45.409"
13	कोकोनट आइलैण्ड/व्हीलर डीआरडीओ आईटीआर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'21.82"	87°05'09.17"
14	धमरा/दक्षिणधमरा	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'51.65"	86°53'57.72"
15	ध्रबापहलीपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'38.33"	86°49'52.53"
16	दुर्गापुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'16.62"	86°47'53.10"
17	गोलादिया	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'38.22"	86°42'50.65"
18	हरीथपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'26.239"	86°51'51.918"
19	जगुला	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'37.701"	86°53'54.118"
20	जयदुर्गापिटना	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'31.57"	86°55'07.82"
21	झरकटा	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'28.566"	86°53'2.095"
22	जोगीपोखारी	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'02.25"	86°47'46.49"
23	ज्योत्सनामयी	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'19.57"	86°56'15.81"

24	कनकपल्ली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'59.43"	86°52'41.90"
25	कन्दागरदी/कन्धा	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°44'43.05"	86°45'48.14"
26	कस्तूरीकाना	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'11.23"	86°48'56.59"
27	कौदियापाल	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°44'35.87"	86°47'18.16"
28	खामरसाही	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'13.58"	86°53'45.87"
29	कुलही	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'03.72"	86°42'37.40"
30	नरसिंगपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'20.630"	86°53'45.659"
31	नयाहत	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'57.60"	86°44' 52.53"
32	नेदुआली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'41.31"	86°47'59.11"
33	ओरासाही	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'37.37"	86°48'54.61"
34	पाहदपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'30.75"	86°43'27.06"
35	पाइकासाही	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°48'5.855"	86°54'12.288"
36	पाइकारपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'51.92"	86°46'08.27"
37	पनचुपाडा	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'04.05"	86°44'59.99"
38	पाटुली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'43.66"	86°43'47.86"
39	पोखारीसाही	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°45'38.96"	86°45'48.80"
40	राजेन्द्रपाली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'03.50"	86°51'10.70"
41	राजाराजेश्वरपल्ली	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'47.97"	86°51'56.58"
42	सावीतरीसराय	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°47'16.70"	86°56'55.20"
43	सनहारीपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'18.89"	86°45'44.24"
44	सिमुलिया	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'22.32"	86°43'50.70"
45	सोमपुर	चन्दवली	चन्दवली	भद्रक	20°46'31.51"	86°44'59.83"

केंद्रपाडा जिले के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तहसील के नाम	ब्लॉक के नाम	जिले के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अताला	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'11.84"	86°40'52.58"
2	बडा अनको	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'42.36"	86°41'02.34"
3	बडामविला	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'01.18"	86°40'10.11"
4	बालाकाटी	औल	औल	केंद्रपाडा	20°41'41.00"	86°40'23.40"
5	बलियादा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'40.77"	86°39'26.42"
6	बेता	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'23.30"	86°40'11.72"
7	चन्दन नगर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'51.98"	86°44'14.51"
8	चौदामनिया	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'12.25"	86°44'26.26"
9	चुनबनधा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°41'04.66"	86°40'31.08"
10	दासीपुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'13.25"	86°39'34.29"
11	धनेश्वरपुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'03.14"	86°41'45.77"
12	दीनियारी	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'52.66"	86°43'40.30"
13	एकामनिया	औल	औल	केंद्रपाडा	20°37'28.20"	86°44'15.54"
14	गोपीनाथपुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'06.77"	86°41'23.38"
15	ईच्छापुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'20.38"	86°43'38.01"

16	जामुदनदा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'28.69"	86°43'05.86"
17	कलादिया	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'30.84"	86°39'57.10"
18	केनानगा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'40.44"	86°40'54.81"
19	खानदोल	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'04.00"	86°41'19.52"
20	कोछिला	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'36.76"	86°41'33.27"
21	कोलिदीहि	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'03.28"	86°43'09.13"
22	कुण्डिलो	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'54.49"	86°41'29.01"
23	मोहु	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'47.98"	86°42'26.04"
24	नागापाडा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°41'29.69"	86°39'58.72"
25	नालपाही	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'31.69"	86°44'20.14"
26	नौगांव	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'05.65"	86°39'30.49"
27	पालाधनेश्वरपुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'50.53"	86°42'25.43"
28	पुरीलो	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'57.66"	86°41'03.78"
29	राजापुर	औल	औल	केंद्रपाडा	20°39'35.91"	86°43'39.24"
30	साहुपारा	औल	औल	केंद्रपाडा	20°38'32.17"	86°40'51.88"
31	सना अनको	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'42.15"	86°41'56.95"
32	तौलांदिया	औल	औल	केंद्रपाडा	20°40'08.88"	86°43'40.17"
33	बडापाला	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'12.75"	86°40'47.94"
34	बलीघारा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°22'56.65"	86°44'27.88"
35	बनापारा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'01.98"	86°44'37.13"
36	बारो	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'26.43"	86°45'44.07"
37	भीतारखरानसी	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°22'51.81"	86°43'28.65"
38	भोपाल	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'06.94"	86°43'14.48"
39	भुइनपाडा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°28'59.32"	86°42'20.24"
40	चकुलीदीही	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'47.99"	86°45'30.22"
41	दोलीगान	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'35.95"	86°40'52.95"
42	गरजंगा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'02.68"	86°42'25.73"
43	गुलुदिया	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°28'13.21"	86°40'04.03"
44	हेतामुंदई	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°20'14.64"	86°45'05.80"
45	जम्बो	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°25'18.61"	86°43'11.13"
46	कालातनगा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°28'43.34"	86°40'48.86"
47	कंदरापाटिया	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'22.98"	86°43'31.61"
48	कंसरिदिया	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°22'17.07"	86°45'22.67"
49	कंटिलो	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'37.52"	86°41'27.47"
50	कंटिलोजंगाल	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°28'25.97"	86°41'49.90"
51	खरिन्टा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'40.60"	86°39'53.25"
52	मालादिह	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'11.12"	86°43'45.60"
53	मुनदातालासहाराकनी	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'09.68"	86°44'50.82"
54	ननजुरा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'47.58"	86°41'35.96"
55	नरसिंहपुर	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'40.51"	86°44'00.33"

56	ओरियासाल	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'41.27"	86°45'05.49"
57	पंचगोद्धिया	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'07.52"	86°41'35.42"
58	पानीखिआ	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'19.07"	86°41'45.45"
59	पंकापाला	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°26'49.92"	86°41'10.62"
60	पाउनसिआपाल	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'06.09"	86°45'21.35"
61	रातापंग	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'06.48"	86°44'11.05"
62	सनातुबी	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°21'01.69"	86°42'58.94"
63	संखाचित	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°29'19.51"	86°42'57.30"
64	ससन	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'43.26"	86°44'24.89"
65	सिंगारपुर	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°31'15.03"	86°44'19.08"
66	सुगाला	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'49.58"	86°40'40.62"
67	सुनीती	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'36.48"	86°42'40.91"
68	तमुलिया	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°31'06.61"	86°44'57.99"
69	तंतियापाल	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°30'51.21"	86°43'48.10"
70	तारापाडा	महाकालपाडा	महाकालपाडा	केंद्रपाडा	20°27'18.37"	86°40'19.25"
71	बलीझरी	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°34'00.49"	86°41'49.05"
72	दिमीरिया	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°33'06.78"	86°41'47.57"
73	जुनुपंगा	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°32'18.78"	86°42'32.46"
74	खनाता	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°32'53.65"	86°42'15.72"
75	कुण्दपुर	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°34'16.68"	86°41'23.26"
76	मदनपुर	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°34'56.71"	86°40'43.34"
77	संखापुर	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°33'35.48"	86°41'57.29"
78	सुवरनापुर	पाट्टामुण्डाई	पाट्टामुण्डाई	केंद्रपाडा	20°32'33.03"	86°42'14.71"
79	अच्युतपुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'12.41"	86°41'02.84"
80	अनंतपुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'16.26"	86°47'12.34"
81	बड्जोरमुहा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°41'59.70"	86°40'53.36"
82	बदिह	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°46'31.19"	86°41'37.89"
83	बलरामपुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'27.56"	86°40'02.30"
84	बनीदीहीपटना	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'41.47"	86°39'49.72"
85	बरुनादिहा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'33.31"	86°40'11.79"
86	भारीगाडा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'17.13"	86°40'44.34"
87	छादेस	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'30.45"	86°40'00.78"
88	दसभगारिया	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'33.49"	86°42'01.95"
89	एकाताला	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°45'34.22"	86°41'55.62"
90	गदरपुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°40'08.05"	86°45'32.00"
91	गोविन्दपुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'26.92"	86°41'12.14"
92	जगुलेइपाडा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°45'14.12"	86°41'34.99"
93	झरकटा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'03.28"	86°41'20.01"
94	कंटापारा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'55.81"	86°45'22.04"
95	केसनगारा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'19.87"	86°41'10.90"

96	लक्ष्मीप्रसादियन	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'55.59"	86°48'16.02"
97	मुकुन्दापुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'15.56"	86°41'26.58"
98	मनेर्इदिही	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'05.53"	86°41'49.20"
99	मंगलापुर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°42'06.35"	86°41'42.40"
100	मतिया	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°46'01.89"	86°42'09.60"
101	नहुनी	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°45'13.72"	86°39'30.71"
102	नंगलाभंजा	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°46'01.69"	86°41'26.34"
103	नौगान	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'25.33"	86°48'36.54"
104	ओलावेर	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'53.78"	86°39'26.15"
105	पटुली	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'12.75"	86°39'26.65"
106	सनातइला	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°44'51.36"	86°40'57.72"
107	सफालांग	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°45'02.15"	86°40'12.89"
108	सताघरिया	राजकनिका	राजकनिका	केंद्रपाडा	20°43'56.97"	86°39'52.98"

अनुलग्नक -V

की गई कार्यवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

- बैठकों की संख्या और तारीख ।
- बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
- पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
- भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निवटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

S.O. 821(E).—In supersession of Ministry's final notification S.O. 1601(E), dated 16th June, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bhitarkanika National Park is spread over an area of 145 square kilometers, notified *vide* Notification No. 19686/F&E dated. 16.09.1998 and is located in Kendrapara District in the State of Odisha.

AND WHEREAS, the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary is spread over an area of 673 square kilometers and is located in Rajnagar, Kanika and Mahakalapada Tehsil of Kendrapara District in the State of Odisha. The boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary has been rationalized and re-notified under sub-section (1) with clause (b) of section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No. FE-WL-WLF-0054-2015-2289 dated. 01.02.2020 of Forest & Environment Department, Government of Odisha by excluding 52 villages with an extent of 54.45 sq. km and by including 8 numbers of Forest Block of Mahakalapada Tehsil with an area of 55.45 square kilometer;

AND WHEREAS, the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary is spread over an area of 1435 square kilometers, notified *vide* Notification No. 8F(WL) 4/97-18805/F&E dated. 27.09.1997 and is located in Rajnagar and Mahakalapada Tehsil of Kendrapara district in the state of Odisha;

AND WHEREAS, the boundary of Bhitarkanika National Park is within the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary is contiguous with the eastern boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and these protected areas form a contiguous land and water body which is identified as the Eco- Sensitive Zone;

AND WHEREAS, the protected area rich in biodiversity and high productive ecosystem having estuarine and marine ecosystem with 61 species of Invertebrates like Protozoa (2 species), Coelenterates (3 species), Mollusca (7 species), Annelids (34 species), Arthropods (15 species) and vertebrates like Fish (20 species), Amphibians (5 species), and Reptiles (42 species), birds (more than 280 species), Mammals (28 species including Cetaceans);

AND WHEREAS, the Bhitarkanika area has the largest natural population of estuarine crocodile in India and is known for its reptilian diversity. The area has the largest heronry in Asia, which is an annual activity during monsoon and winter migrants visiting the Bhitarkanika wetland is more than one lakh every year.

AND WHEREAS, the Bhitarkanika is the second Ramsar site in the state of the Odisha which is a wetland of International importance and the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary is globally known for mass nesting of Olive Ridley Sea Turtles. Many of the endangered species of flora and fauna enlisted in the Wildlife (Protection) Act, 1972 and enlisted in the Red Data Book of International Union for Conservation of Nature (IUCN) are available in these protected areas.

AND WHEREAS, the rare, endangered and threatened faunal species present in the area are fan throated lizard (*Sitana ponticeriana*), skink (*Riopa punctata*), great cormorant (*Phalacrocorax carbo*), little grebe (*Tachybaptus ruficollis*), brahminy kite (*Haliastur indus*), small pratincole (*Glareola lactea*), Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), baula kumbhira (*Crocodylus porosus*), olive ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*), pani godhi (*Varanus salvator*), ajagar (*Python molurus*), batagur turtle (*Batagur baska*), nabarangi (*Pitta megarhyncha*)

AND WHEREAS, the mammal species present in the protected area are spotted deer (*Axis axis*), sambar (*Cervus unicolor*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), Asiatic jackal (*Canis aureus*), fishing cat (*Felis viverrina*), jungle cat (*Felis chaus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), hyaena (*Hyaena hyaena*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), otter (*Lutra perspicillata*), small Indian civet (*Viverricula indica*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), rhesus macaque (*Macaca mulatta mulatta*), Gangetic dolphins (*Platamista gangetica*), humpback dolphin (*Sousa chinensis*), Irrawaddy dolphin (*Orcaella brevirostris*) and Indian mole rat (*Bandicota bengalensis*) etc;

AND WHEREAS, the rare, endangered and threatened floral species present in the area are paniamba (*Cerbera odollam*), oanra (*Aglaja cucullata*), maasitha (*Intsia bijuga*), harakancha (*Acanthus ilicifolius*), banarua (*Aegialitis rotundifolia*), kharsi (*Aegiceras corniculatum*), bada bani (*Avicennia officinalis*), lati sundari (*Brownlowia tersa*), kaliachua (*Bruguiera cylindrica*), garani (*Ceriops decandra*), kala katiranai (*Derris trifoliata*), sundari (*Heritiera fomes*), sindhuka (*Kandelia candel*), churunda (*Lumnitzera racemosa*), nalia ghasa (*Myriostachya wightiana*), rai (*Rhizophora apiculata*), hental (*Phoenix paludosa*), goda bani (*Sesuvium portulacastrum*), orua (*Sonneratia alba*), keruan (*Sonneratia apetela*), orua (*Sonneratia caseolaris*), giria (*Suaeda maritime*), giria (*Suaeda nudiflora*), jagula (*Tamarix troupii*), pitamari (*Xylocarpus mekongensis*), dhala bani (*Avicennia alba*), bandari (*Bruguiera gymnorhiza*), dot (*Bruguiera parviflora*) khasai lata (*Finlaysonia obovata*), batula (*Salicornia brachiata*);

AND WHEREAS, the biodiversity of mangroves in the Bhitarkanika wetland area is one of the highest, with 88 species of mangroves and their associates identified taxonomically. The area also provides habitat to Kanika Sundari (*Heritiera kanikensis*) an endemic species to the Bhitarkanika area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.10 kms to 8.7 kilometres around the boundary of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary, in the State of Odisha as the Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to the extent of 0.10 kilometres to 8.7 kilometres around the boundary of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 497.67 square kilometres.

- (2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.

- (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) Land use.**—(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as—

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

- (b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) Tourism or eco-tourism.**—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and

- resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

- (12) Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.**— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.**— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area	Regulated as per the applicable laws.

	by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

C. Promoted Activities

30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Kendrapara	Chairman, ex officio;
2.	Representative of Collector, Bhadrak	Member;
3.	Superintendent of Police, Kendrapara	Member;
4.	Representative of Superintendent of Police, Bhadrak	Member;
5.	Representative of Member Secretary, Odisha State Pollution Control Board	Member;
6.	One representative of Non-governmental Organization working in the field of Environment to be nominated by the Government of Odisha	Member;

7.	An Expert in the field of Environment, Wildlife and Ecology to be nominated by the Government of Odisha	Member;
8.	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government.	Member;
9.	Divisional Forest Officer, Bhadrak Wildlife Division	Member;
10.	Divisional Forest Officer-cum-Wildlife Warden, Mangrove Forest Division (Wildlife) Rajnagar	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. -The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/04/2014-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BHITARKANIKA NATIONAL PARK, BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY, GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF ODISHA

Schedule-A

From ESZ Point No.1 N-20°19'59.2" E-86°45'39" Eco-Sensitive Zone boundary runs towards south-east direction to ESZ Point No.2 N-20° 16'33.5" E - 86°56'11.82" on the sea at a distance of 2 Km. from the boundary of Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs towards north- east direction from ESZ Point No. 2 to ESZ Point No. 3 N-20° 24'39.5" E - 87°1'12.32" on the sea at a distance of 1 Km. from the boundary of Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary. Again the boundary runs from ESZ Point No. 3 to ESZ Point No. 4 N-20° 38 24.7" E - 87°16'58.97" on the sea at a distance of 1 Km. outside the boundary of Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs from ESZ Point No. 4 to ESZ Point No. 5 N-20° 43 33.4" E - 87°18'18.71" on north direction on the sea varying from distance of 1 Km. to 2 Km. outside the boundary of Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs from ESZ Point No. 5 to ESZ Point No. 6 N-20° 48 2.96" E - 87°8'1.84" on north-west direction on the sea at a distance of 2 Km. outside the boundary of Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary. Again the boundary runs from ESZ Point No. 6 to ESZ Point No. 7 N-20° 45 1.11" E - 87° 3'31.31" on south-west direction at a distance of 2 Km. outside the boundary of Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary (Mouth of the Brahmani and Baitarani river). Then the boundary runs from ESZ Point No. 7 to ESZ Point No. 8 N-20° 47' 43.6" E - 86° 58'5.34" on north-west direction at a distance of 2 Km. from the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and meets on midpoint of Dhamara river. Then the boundary runs from ESZ Point No. 8 to ESZ Point No. 9 N-20° 48 1.55" E - 86° 56'58.35" on west direction varying from 0.560 Km. to 2 Km. on land mass of Bhadrak district outside the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs from ESZ Point No. 9 to ESZ Point No. 10 N-20° 47 3.43" E - 86° 49'13.23" on west direction at a distance of 2 Km. in district of Bhadrak outside of the boundary Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. From ESZ Point No. 10 to ESZ Point No. 11 N-20° 44 30.2" E - 86°38'58.77" the boundary runs on west direction at a distance of 2 Km. outside the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary with part of Bhadrak and Kendrapara district. An area of 1.33 sq. km. near Kasturikana ecotourism site, part of pre-defined and designated area for ecotourism facilities as per tourism master plan has been excluded from Eco-Sensitive Zone. Then the boundary runs from ESZ Point No. 11 to ESZ Point No. 12 N-20° 37' 46.6" E - 86° 39'28.09" on south direction varying distance from 2 Km. outside the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Again the boundary runs from ESZ Point No. 12 to ESZ Point No. 13 N-20° 34 32.9" E - 86°41'26.86" on south direction varying distance from 2 Km. to 8.7 Km. Then the boundary runs from ESZ Point No. 13 to ESZ Point No. 14 N-20° 27 34.8" E - 86° 39' 48.18" on south direction varying distance from 2 Km. to 5 Km. Again the boundary runs from ESZ Point No. 14 to ESZ Point No. 15 N-20° 23 37.6" E - 86° 43'33.72" on south-east direction varying distance from 2 Km. to 1.2 Km. of the outside the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Again the boundary runs from ESZ Point No. 15 to ESZ Point No. 16 N-20° 20' 7.19" E - 86° 41' 53.66" on south direction varying distance from 0.3 Km. to 0.10 Km. of the outside the boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs from ESZ Point No. 16 to ESZ Point No. 17 N-20° 19 30.2" E - 86° 43' 22.94" on south-east direction varying distance from 1 Km to 0.2 Km. outside the boundary in Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Then the boundary runs from ESZ Point No. 17 to ESZ Point No. 1 N-20° 19'59.2" E - 86°45'39" on south-east and then runs north east direction & merged with Station No.1 varying distance from 0.2 Km. to 0.05 Km.

North: Chandbali, Dhamara and Wheeler Island (DRDO) of Bhadrak District


East: Bay of Bengal

South: Bay of Bengal, Paradip Port

West: Mahakalapada and Pattamundai


ANNEXURE- II A

**LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHITARKANIKA NATIONAL PARK,
BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY, GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE
SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE**




ANNEXURE- II B

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHITARKANIKA NATIONAL PARK,
BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY, GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE
SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE
OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET**



ANNEXURE- II C

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHITARKANIKA NATIONAL PARK
BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY, GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE
SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE**



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BHITARKANIKA NATIONAL PARK, BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY & GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Boundary	Latitude	Longitude
01	Bhitarkanika National Park, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary & Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary	20°20'49.62"	86°46'22.66"
02		20°17'31.96"	86°56'14.26"
03		20°25'00.00"	87°00'45.00"
04		20°38'37.00"	87°16'27.00"
05		20°42'49.00"	87°17'36.00"
06		20°46'58.00"	87°08'05.00"
07		20°43'52.26"	87°02'43.06"
08		20°46'58.02"	86°56'43.08"
09		20°46'12.64"	86°49'56.45"
10		20°45'41.70"	86°42'22.71"
11		20°41'22.41"	86°41'08.01"

12		20°38'27.88"	86°40'21.43"
13		20°34'06.75"	86°42'30.18"
14		20°29'14.00"	86°41'29.71"
15		20°26'17.44"	86°43'27.08"
16		20°23'39.47"	86°43'37.02"
17		20°22'15.55"	86°42'41.13"
18		20°20'09.07"	86°42'00.27"
19		20°19'24.03"	86°43'25.38"
20		20°19'27.36"	86°45'07.89"

TABLE B: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO- SENSITIVE ZONE

Geo Coordinates of Eco Sensitive Zone of the Protected Areas

Points	Reference Points Along the ESZ Boundary			Longitude		
	Deg	Min	Sec	Deg	Min	Sec
1	20	19	59.2	86	45	39
2	20	16	33.5	86	56	11.82
3	20	24	39.5	87	1	12.32
4	20	38	24.7	87	16	58.97
5	20	43	33.4	87	18	18.71
6	20	48	2.96	87	8	1.84
7	20	45	1.11	87	3	31.31
8	20	47	43.6	86	58	5.34
9	20	48	1.55	86	56	58.35
10	20	47	3.43	86	49	13.23
11	20	44	30.2	86	38	58.77
12	20	37	46.6	86	39	28.09
13	20	34	32.9	86	41	26.86
14	20	27	34.8	86	39	48.18
15	20	23	37.6	86	43	33.72
16	20	20	7.19	86	41	53.66
17	20	19	30.2	86	43	22.94

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BHITARKANIKA NATIONAL PARK, BHITARKANIKA WILDLIFE SANCTUARY & GAHIRMATHA (MARINE) WILDLIFE SANCTUARY**1. Village inside Eco-Sensitive Zone of Bhadrak District**

Sl. No.	Name of the village	Name of the Tehsil	Name of the Block	Name of the District	Latitude	Longitude
1	Ambiligan	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'06.12"	86°46'14.54"
2	Badaharipur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'44.53"	86°45'30.29"
3	Badaostia	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'34.57"	86°44'20.81"
4	Baghanata	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'00.56"	86°48'44.56"
5	Baligan	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'29.92"	86°44'02.70"
6	Balikuri	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'03.45"	86°47'20.58"
7	Barehipur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'45.97"	86°44'22.69"
8	Bentalpur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'21.43"	86°46'49.09"
9	Bidyutprava	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'18.417"	86°55'49.076"
10	Bintaro	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'02.55"	86°43'10.53"
11	Chandbali	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'22.24"	86°44'21.57"

12	Charadia	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'47.500"	86°50'45.409"
13	Coconut island / Wheeler DRDO ITR	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'21.82"	87°05'09.17"
14	Dhamara/ Dakshindhamara	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'51.65"	86°53'57.72"
15	Dhrubapahalipur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'38.33"	86°49'52.53"
16	Durgapur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'16.62"	86°47'53.10"
17	Goladia	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'38.22"	86°42'50.65"
18	Harishpur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'26.239"	86°51'51.918"
19	Jagula	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'37.701"	86°53'54.118"
20	Jayadurgapatana	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'31.57"	86°55'07.82"
21	Jharakata	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'28.566"	86°53'2.095"
22	Jogipokhari	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'02.25"	86°47'46.49"
23	Jyotsnamayee	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'19.57"	86°56'15.81"
24	Kanakpalli	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'59.43"	86°52'41.90"
25	Kandagaradi/Kandha	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°44'43.05"	86°45'48.14"
26	Kasturikana	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'11.23"	86°48'56.59"
27	Kaudiapal	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°44'35.87"	86°47'18.16"
28	Khamarsahi	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'13.58"	86°53'45.87"
29	Kulhi	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'03.72"	86°42'37.40"
30	Narsinghpur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'20.630"	86°53'45.659"
31	Nayahat	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'57.60"	86°44' 52.53"
32	Neduali	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'41.31"	86°47'59.11"
33	Orasahi	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'37.37"	86°48'54.61"
34	Pahadpur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'30.75"	86°43'27.06"
35	Paikasahi	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°48'5.855"	86°54'12.288"
36	Paikirapur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'51.92"	86°46'08.27"
37	Panchapada	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'04.05"	86°44'59.99"
38	Patuli	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'43.66"	86°43'47.86"
39	Pokharisahi	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°45'38.96"	86°45'48.80"
40	Rajendrapalli	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'03.50"	86°51'10.70"
41	Rajrajeswaripalli	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'47.97"	86°51'56.58"
42	Sabitrisarai	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°47'16.70"	86°56'55.20"
43	Sanaharipur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'18.89"	86°45'44.24"
44	Simulia	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'22.32"	86°43'50.70"
45	Sompur	Chandbali	Chandbali	Bhadrak	20°46'31.51"	86°44'59.83"

2. Villages inside Eco-Sensitive Zone area of Kendrapara District

Sl. No.	Name of the village	Name of the Tehsil	Name of the Block	Name of the District	Latitude	Longitude
1	Atala	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'11.84"	86°40'52.58"
2	Bada anko	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'42.36"	86°41'02.34"
3	Badaambila	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'01.18"	86°40'10.11"
4	Balakati	Aul	Aul	Kendrapada	20°41'41.00"	86°40'23.40"
5	Baliada	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'40.77"	86°39'26.42"
6	Beta	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'23.30"	86°40'11.72"
7	Chandannagar	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'51.98"	86°44'14.51"
8	Choudamania	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'12.25"	86°44'26.26"
9	Chunabandha	Aul	Aul	Kendrapada	20°41'04.66"	86°40'31.08"
10	Dasipur	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'13.25"	86°39'34.29"
11	Dhaneswarpur	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'03.14"	86°41'45.77"
12	Diniari	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'52.66"	86°43'40.30"
13	Ekamania	Aul	Aul	Kendrapada	20°37'28.20"	86°44'15.54"
14	Gopinathpur	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'06.77"	86°41'23.38"
15	Ichchapur	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'20.38"	86°43'38.01"
16	Jamudanda	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'28.69"	86°43'05.86"
17	Kaladia	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'30.84"	86°39'57.10"
18	Kenanga	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'40.44"	86°40'54.81"
19	Khandol	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'04.00"	86°41'19.52"
20	Kochila	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'36.76"	86°41'33.27"
21	Kolidihi	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'03.28"	86°43'09.13"
22	Kundilo	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'54.49"	86°41'29.01"

23	Mohu	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'47.98"	86°42'26.04"
24	Nagapada	Aul	Aul	Kendrapada	20°41'29.69"	86°39'58.72"
25	Nalpahi	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'31.69"	86°44'20.14"
26	Nuagaon	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'05.65"	86°39'30.49"
27	Paladhaneswarpur	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'50.53"	86°42'25.43"
28	Purilo	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'57.66"	86°41'03.78"
29	Rajapur	Aul	Aul	Kendrapada	20°39'35.91"	86°43'39.24"
30	Sahupara	Aul	Aul	Kendrapada	20°38'32.17"	86°40'51.88"
31	Sana anko	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'42.15"	86°41'56.95"
32	Taunladiha	Aul	Aul	Kendrapada	20°40'08.88"	86°43'40.17"
33	Badapala	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'12.75"	86°40'47.94"
34	Balighara	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°22'56.65"	86°44'27.88"
35	Banapara	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'01.98"	86°44'37.13"
36	Baro	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'26.43"	86°45'44.07"
37	Bhitarakharanasi	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°22'51.81"	86°43'28.65"
38	Bhopal	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'06.94"	86°43'14.48"
39	Bhuinpara	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°28'59.32"	86°42'20.24"
40	Chakulidihi	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'47.99"	86°45'30.22"
41	Doligan	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'35.95"	86°40'52.95"
42	Garajanga	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'02.68"	86°42'25.73"
43	Guludia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°28'13.21"	86°40'04.03"
44	Hetamundai	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°20'14.64"	86°45'05.80"
45	Jamboo	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°25'18.61"	86°43'11.13"
46	Kalatunga	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°28'43.34"	86°40'48.86"
47	Kandarapatia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'22.98"	86°43'31.61"
48	Kansaridia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°22'17.07"	86°45'22.67"
49	Kantilo	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'37.52"	86°41'27.47"
50	Kantilojangal	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°28'25.97"	86°41'49.90"
51	kharianta	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'40.60"	86°39'53.25"
52	Maladih	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'11.12"	86°43'45.60"
53	Mundatalasahadakani	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'09.68"	86°44'50.82"
54	Nanjura	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'47.58"	86°41'35.96"
55	Narsinghpur	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'40.51"	86°44'00.33"
56	Oriyasal	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'41.27"	86°45'05.49"
57	Panchagochhia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'07.52"	86°41'35.42"
58	Panikhia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'19.07"	86°41'45.45"
59	Pankapala	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°26'49.92"	86°41'10.62"
60	Paunsiapal	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'06.09"	86°45'21.35"
61	Ratapang	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'06.48"	86°44'11.05"
62	Sanatubi	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°21'01.69"	86°42'58.94"
63	Sankhachit	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°29'19.51"	86°42'57.30"
64	Sasan	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'43.26"	86°44'24.89"
65	Singarpur	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°31'15.03"	86°44'19.08"
66	Sugala	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'49.58"	86°40'40.62"
67	Suniti	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'36.48"	86°42'40.91"
68	Tamulia	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°31'06.61"	86°44'57.99"
69	Tantiopal	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°30'51.21"	86°43'48.10"
70	Tarapada	Mahakalapada	Mahakalpada	Kendrapada	20°27'18.37"	86°40'19.25"
71	Balijhari	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°34'00.49"	86°41'49.05"
72	Dimiria	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°33'06.78"	86°41'47.57"
73	Junupanga	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°32'18.78"	86°42'32.46"
74	Khanata	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°32'53.65"	86°42'15.72"
75	Kundupur	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°34'16.68"	86°41'23.26"
76	Madanpur	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°34'56.71"	86°40'43.34"
77	Sankhapur	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°33'35.48"	86°41'57.29"
78	Subarnapur	Pattamundai	Pattamundai	Kendrapada	20°32'33.03"	86°42'14.71"
79	Achutpur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'12.41"	86°41'02.84"
80	Anantapur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'16.26"	86°47'12.34"
81	Badajoramuhu	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°41'59.70"	86°40'53.36"
82	Badih	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°46'31.19"	86°41'37.89"

83	Balrampur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'27.56"	86°40'02.30"
84	Banidihipatana	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'41.47"	86°39'49.72"
85	Barunadiha	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'33.31"	86°40'11.79"
86	Bharigada	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'17.13"	86°40'44.34"
87	Chhades	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'30.45"	86°40'00.78"
88	Dasbhagaria	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'33.49"	86°42'01.95"
89	Ekatala	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°45'34.22"	86°41'55.62"
90	Gadarapur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°40'08.05"	86°45'32.00"
91	Gobindapur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'26.92"	86°41'12.14"
92	Jaguleipada	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°45'14.12"	86°41'34.99"
93	Jharkata	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'03.28"	86°41'20.01"
94	Kantapara	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'55.81"	86°45'22.04"
95	Kesanagara	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'19.87"	86°41'10.90"
96	Lakhmiprasaddian	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'55.59"	86°48'16.02"
97	Makundapura	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'15.56"	86°41'26.58"
98	Maneidihi	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'05.53"	86°41'49.20"
99	Mangalapur	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°42'06.35"	86°41'42.40"
100	Matia	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°46'01.89"	86°42'09.60"
101	Nahuni	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°45'13.72"	86°39'30.71"
102	Nangalabhanja	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°46'01.69"	86°41'26.34"
103	Nuagan	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'25.33"	86°48'36.54"
104	Olaver	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'53.78"	86°39'26.15"
105	Patuli	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'12.75"	86°39'26.65"
106	Sanataila	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°44'51.36"	86°40'57.72"
107	Saphalang	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°45'02.15"	86°40'12.89"
108	Satagharia	Rajkanika	Rajkanika	Kendrapada	20°43'56.97"	86°39'52.98"

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report: -**

- Number and date of meetings.
- Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- Any other matter of importance.